कार्यालय जनपद न्यायाधीश, महोबा (नीलामी समिति)

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 8096/Admin.(B-I) Section, Allahabad Dated September 17, 2026 के माध्यम से दिये गये दिशा-निर्देशों परिपत्र संख्या-797/Admin(B-I), Dated 15.03.1994 व 4004/Admin (B-I) dated 21.12.1992 के क्रम में जनपद न्यायालय, महोबा परिसर में वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु जलपान गृह की दुकान, पान की दुकान व फोटोकॉपी की दुकान की नीलामी हेतु सीलबंद निविदा/ टेण्डर दिनांक 25-11-2026 को सायं 04:00 बजे तक कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय महोबा में आमंत्रित किया जाता है जिसे नीलामी समिति के समक्ष दिनांक 27.11.2026 को सायं 04:00 बजे खोला जाएगा।

इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी नजारत अनुभाग महोबा से प्राप्त कर सकते है एवं निविदा/टेण्डर खुलने के समय उपस्थित हो सकते है।

निविदा की शर्तें निम्नवत है-

1- इच्छुक व्यक्ति जनपद न्यायालय महोबा के परिसर में स्थित जलपान गृह की दुकान, पान की दुकान व फोटोकॉपी की दुकान की नीलामी हेतु सीलबन्द निविदा पंजीकृत डाक एवं व्यक्तिगत रूप से कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय महोबा में नियत तिथि एवं समय पर भेज/जमा कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

02- सबसे उच्च मूल्य की निविदा स्वीकार की जायेगी, किन्तु किसी भी निविदा को सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है। निविदा के साथ पहचान पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

03- निविदा/टेण्डर अंतिम रूप से स्वीकृत होने के पश्चात उसकी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर उच्चतम टेण्डर वाले क्रेता/ठेकेदार को टेण्डर की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।

04- जब तक समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम टेण्डर/निविदा को समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है तब तक उपरोक्त व्यावसायिक दुकानों/प्रतिष्ठानों को ठेकेदार द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जायेगी।

05- टेण्डर/निविदा में वही व्यक्ति टेण्डर प्रस्तुत कर सकते है, जिनके ऊपर विभाग का कोई बकाया अवशेष न हो।

06- टेण्डर/निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को है।

07- टेण्डर/निविदा स्वीकृत करने की पूर्व किसी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।

08- उच्चतम निविदा/टेण्डर अंतिम रूप से स्वीकृत होने के पश्चात क्रेता/ठेकेदार द्वारा जनपद न्यायालय महोबा से अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यावसायिक दुकानों को खोला जाएगा।

दिनांकः-

अध्यक्ष
नीलामी कमेटी
जनपद न्यायालय, महोबा।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित न्यायालयों/कार्यालयों, महोबा के सूचना पट पर चस्पा की जावे।

1- न्यायालय माननीय जिला जज महोबा।
2- न्यायालय परिसर के समस्त सूचना पटो पर।
3- कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।
4- कार्यालय नगर पालिका परिषद महोबा।
5- जिला सूचना अधिकारी महोबा को शासनादेश संख्या-562/उन्नीस-2-2007-1007/74 (T.C.) Dated-04-07-2007 के प्राविधानों के अनुसार नीलामी की सूचना समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6- कार्यालय उपजिलाधिकारी महोबा।
7- कार्यालय तहसीलदार महोबा।
8- कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, महोबा वास्ते प्रकाशन बेवसाइट माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं बेवसाइट जनपद न्यायालय महोबा।

दिनांकः-

अध्यक्ष
नीलामी कमेटी
जनपद न्यायालय, महोबा।